<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.— 90 / 15</u> संस्थापित दिनांक— 17.06.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- परवेज बेग उर्फ मेहबूब बेग, मुसलमान, उम्र 46 वर्ष
- शमीमउल्ला उर्फ सन्नीदादा पुत्र कलीम उल्ला मुसलमान, उम्र 20 साल,
- मासूम बेग उर्फ बेवू बेग मिर्जा पुत्र निशार बेग, मुसलमान उम्र 36 साल, समस्त निवासीगण मैदान गली चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: <u>निर्णय</u> :— (<u>आज दिनांक 11.08.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 324, 324/34, 323, 323/34 दो शीर्ष, 506 भाग दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.02.2015 सुबह 10.30 बजे मैदाल गली चंदेरी में फरियादी के घर के पास लोक स्थान पर फरियादी फिरोज बेग को मॉ—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी फिरोज बेग व आहत फिरदौस व कासिम को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त सन्नीदादा ने फरियादी फिरोज बेग को धारादार हथियार से व अभियुक्त परवेश व मासूम बेग ने आहत फिरदौस व कासिम को लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.2.2015 को सुबह 10.30 बजे फरियादी फिरोज घर के सामने पड़ी शामलाति जगह पर बकरी बाधने के लिये टपरा बनाना चाह रहा था तो अभियुक्तगण वहा आये और उसे मा—बहन की गालिया देने लगे और जब

फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो अभियुक्त सन्नीदादा ने फरियादी को लोहे की वस्तु से उसके दोनों हाथों में उपहित कारित की तथा मौके पर बचाने आये आहत फिरदौस व कासिम की आरोपीगण ने लाठियों से मारपीट की। घटना मौके बब्लू अिहरवार व वसीम ने देखी और जब फरियादी अपने घर तरफ जाने लगा तो अरोपीगण ने उसका रास्ता रोक कर धमकी दी की यदि जमीन पर टपरा बनाया तो जान से मार देगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराई जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 52/15, अंतर्गत धारा 323, 294, 324, 506 बी, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना लेखबद्ध की गई आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखीनय है कि अभियुक्तगण पर धारा 294, 341, 324, 324/34, 323, 323/34 दो शीर्ष, 506 भाग दो भा0द0वि0 के आरोप विरचित किये गये। फरियादी फिरोज बेग, आहत फिरदौस ने दिनांक 11.08.2017 को अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप का शमन करने वाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) 320 (8) द0प्र0सं0 के प्रस्तुत किये एवं नाबालिग कासिम सिहत उसके पिता महमूद बेग ने उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 320 (4) द0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 323/34 दो शीर्ष, 341 506 भाग दो शमनीय प्रकृति की होने से फरियादी व आहतगण को उपरोक्त शमनीय धाराओं का शमन करने की अनुमित उपरोक्त आवेदन स्वीकार करते हुये दी गई तथा उक्त आधार पर अभियुक्तगण को धारा 294, 341, 323, 323/34 दो शीर्ष, 506 भाग दो भा0द0वि0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित धारा 324, 324/34 भा0द0वि0 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में कहना है कि वह निद्मेष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या दिनांक 23.02.2015 को सुबह 10.30 बजे मैदान गली चंदेरी में अभियुक्तगण ने फरियादी के फिरोज बेग मिर्जा को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त शमीमुल्ला उर्फ सन्नीदादा ने फरियादी फिरोज बेग मिर्जा को धारादार हथियार से स्वेच्छया उपहित कारित की ?
 - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे व अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी फिरोज बेग (अ0सा0 1) सिहत फिरदौस बेग (अ0सा0 2) व कासिम बेग (अ0सा0 3) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी फिरोज अ0सा0 1 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि दो—तीन साल पहले ठंड के समय सुबह के 10—11 बजे उसका भतीजा कासिम (अ0सा0 3) घर के सामने पड़ी जगह पर बकरी बाधने के लिये टपरा बना रहा था तो अभियुक्तगण ने उसे टपरियां बनाने से रोका था और मॉ—बहन की गालिया दी थी। फरियादी के अनुसार घटना के समय वह घर पर था और जब चिल्ला—चौट की आवाज सुन कर वह व उसका भाई फिरदौस (अ0सा0 2) वहाँ पहुँचे तो आरोपीगण ने उन्हें भी गालिया दी जिससे मौके पर उन लोगों का मुहबाद हो गया था। फरियादी फिरोज बेग (अ0सा0 1) घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराया जाना बताता है जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किये है।
- 07— फरियादी फिरोज बेग (अ0सा0 1) अपने न्यायालयनीय कथनों में आरोपीगण का पहले विवाद टपरिया बनाने पर से भतीजे कासिम (अ0सा0 3) के साथ होना बताता है तथा स्वयं को वह बाद में घटना स्थल पर पहुँचना बताता है। जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार टपरिया बनाने पर से आरोपीगण का विवाद फरियादी फिरोज बेग (अ0सा0 1) से हुआ था तथा बाद में फिरदौस (अ0सा0 2) व कासिम (अ0सा0 3) उसे बचाने के लिये पहुँचे थे। अतः घटना में मुख्य विवाद अभियुक्तगण का किससे हुआ इस संबंध में फरियादी के न्यायालयीन कथन उसी के द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में उल्लेखित घटना से भिन्न है, जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट से नहीं होती है।
- 08— अभियोजन घटना के विपरीत कासिम बेग (अ०सा० 3) भी अपने न्यायालयीन कथनों में फरियादी फिरोज बेग (अ०सा० 1) के समान ही यह कहना है कि घटना दिनांक को वह स्वयं टपरिया बना रहा था जिसको लेकर आरोपीगण ने गाली गलौच की थी तथा बाद में मौके पर पहुँच फिरोज (अ०सा० 1) व फिरदौस (अ०सा० 2) के साथ भी आरोपीगण ने गाली गलौच की थी। फिरदौस (अ०सा० 2) ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में यह व्यक्त किया है कि उसके घर के सामने एक खाली खैरा पड़ा है जिसकों लेकर आरोपीगण से उनकी बुराई चलती है। इस साक्षी का कहना है कि घटना दिनांक को सुबह करीबन 09.00 बजे जब वह चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाहर निकला था तो उसने आरोपीगण को फिरोज (अ०सा० 1) व कासिम (अ०सा० 3) को गालिया देते हुये देखा था। इस साक्षी का कहना है कि उसने जाकर लोगों को समझाया था और झगडा शांत होने के बाद वह अपने घर पर आ गया था।
- 09— फरियादी फिरोज (अ0सा0 1) फिरदौस (अ0सा0 2) व कासिम (अ0सा0 3) के न्यायालयीन कथन इस संबंध में अखण्डित है कि घटना दिनांक को सुबह करीबन 09—10 बजे आरोपीगण ने उनके घर के बाहर बकरियों के टपरिया बनाने पर से विवाद किया था और

उक्त विवाद में फरियादी गालिया भी दी थी। विवाद का कारण बकरियों के लिये टपरा बनाना था इस बात की पुष्टि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट से होती है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण का घटना दिनांक को टपरिया बनाने पर से मौके पर फरियादी सहित उसके भतीजे के साथ मुह—वाद हुआ था, परन्तु घटना दिनांक को टपरिया कौन बना रहा था तथा किसके साथ आरोपीगण ने विवाद प्ररम्भ किया इस संबंध में फरियादी फिरोज (अ०सा० 1) व कासिम (अ०सा० 3) के कथन अभियोजन कहानी से मैल नहीं खाते है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में आरोपीगण ने विवाद की शुरूबात किससे की थी।

- 10— फिरोज (अ0सा0 1) का अपने न्यायालयीन कथनों अभियोजन घटना के विपरीत यह कहना है कि मौके पर टपरिया कासिम (अ0सा0 3) बना रहा था जिससे आरोपीगण का पहले विवाद हुआ था तथा वह बाद में पहुँचा था। यह साक्षी अभियोजन घटना के विपरीत यह भी कहता है कि घटना में केवल मुह—वाद हुआ था तथा यह साक्षी मुह—वाद के अलावा आरोपीगण द्वारा और कोई घटना कारित न किया जाना बताता है। फिरदौस (अ0सा0 2) व कासिम (अ0सा0 3) भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के बाद अपने न्यायालयीन कथनों में घटना में मात्र मुह—वाद होना बताते है तथा इन साक्षियों को कहीं यह कहना नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादी सहित उनके साथ घटना में मारपीट भी की थी।
- 11— फिरोज (अ०सा० 1), फिरदौस (अ०सा० 2) व कासिम (अ०सा० 3) के द्वारा अभियोजन घटना के विपरीत कथन देने से एवं मौके पर मात्र मुह—वाद होना बताने के कारण अभियोजन द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इनमें से किसी भी साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लैंश मात्र भी समर्थन किया कि अभियुक्तगण ने घटना में उनके साथ मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की थी, जबिक यह सभी साक्षी अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत है। फिरयादी फिरोज (अ०सा० 1) जिसके द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रवर्पीठ 1 लेखबद्ध कराई गई है अपने कथनों में इस बात का खण्डन करता है कि अभियुक्त सन्नीदादा ने उसे लोहे की धारदार वस्तु से उपहित कारित की थी तथा इस साक्षी का कहना है कि उसने न तो ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस को लेख कराई और न ही इस संबंध में पुलिस को कोई कथन दिये। यह साक्षी अपना मेडीकल होना स्वीकार करता है परन्तु उसक कहना है कि उसे घटना में कोई चोट नहीं आई थी उसे पूर्व की चोट थी। फिरदौस (अ०सा० 2) व कासिम (अ०सा० 3) ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में मात्र मुह—वाद की घटना होना बताया है तथा इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि फरियादी फिरोज (अ०सा० 1) को अभियुक्त सन्नीदादा ने उसे लोहे की धारदार वस्तु से उपहित कारित की थी।
- 12— फरियादी फिरोज (अ0सा0 1) व फिरदौस (अ0सा0 2) व कासिम (अ0सा0 3) के द्वारा अभियोजन घटना के विपरीत अपने न्यायालयीन कथनों में स्वयं के साथ हुई मारपीट की घटना से इंकार करने एवं घटना में मात्र आरोपीगण के द्वारा मुह—वाद किया जाना बताये जाने से अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि चिकित्सीय परीक्षण में

फरियादी फिरोज (अ०सा० 1) को हाथों में पाई गई चोटे अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थी। फरियादी सहित आहत साक्षीयों के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सहित किसी के साथ भी मारपीट कर घटना में उपहित कारित की थी।

- 13— अतः साक्ष्य के आभाव में एवं साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण ने दिनांक 23.02.2015 को सुबह 10.30 बजे मैदान गली चंदेरी में अभियुक्तगण ने फरियादी के फिरोज बेग मिर्जा को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त शमीमुल्ला उर्फ सन्नीदादा ने फरियादी फिरोज बेग मिर्जा को धारादार हथियार से स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 14— फलस्वरूप परवेज बेग उर्फ मेहबूब बेग, शमीमउल्ला उर्फ सन्नीदादा पुत्र कलीम उल्ला व मासूम बेग उर्फ बेवू बेग मिर्जा पुत्र निशार बेग, के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 324, 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त परवेज बेग उर्फ मेहबूब बेग, शमीमउल्ला उर्फ सन्नीदादा पुत्र कलीम उल्ला व मासूम बेग उर्फ बेवू बेग मिर्जा पुत्र निशार बेग, को भा०दं०वि० की धारा 324, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15— अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)